

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम**, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 07.03.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00120

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री नाराण पिता रूपा भील निवासी भुरक्याकला, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा मि. न. 5/70 आवंटन दिनांक 08.01.1971

उपस्थिति:-1- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 20.12.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के तहत विरुद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन



राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी बनाम श्री नाराण पिता रूपा भील निवासी भुरक्याकला, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

किया कि मौजा सोमपुर बी की आराजी नम्बर 313 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि विपक्षी श्री नाराण पिता रूपा भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के पुराने आराजी नम्बर 223/3 है जो कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा जरिये मिसल नम्बर 5/70 से दिनांक 08.01.1971 को बिलानाम आराजी संख्या 223 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की जो जरिये नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 17.04.1971 से विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात् से अब तक किसी का भी कब्जा नहीं है व न ही मौके पर काश्त हो रही है तथा न ही विपक्षी ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। विपक्षी का सूचना पत्र उसकी मृत्यु की सूचना के प्राप्त होने पर तहसीलदार, बडीसादडी से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बडीसादडी ने अपने पत्रांक/भू.अ./2024/219 दिनांक 02.07.2024 से नारायण पिता रूपा भील निवासी भुरक्या कला की मृत्यु होकर उसका कोई वारिसान नहीं बचा होने की रिपोर्ट प्रेषित की। संबंधित भू आवंटन पत्रावली जाया होने की सूचना प्राप्त होने पर बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान में भी उक्त भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है तथा न ही काश्त की जा रही है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भूमिधारी तहसीलदार ने विपक्षी को उक्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा जरिये मिसल नम्बर 5/70 से दिनांक 08.01.1971 को होना बताया है तत्कालीन भू आवंटन कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा विपक्षी को ग्राम सोमपुर बी की बिलानाम आराजी संख्या 223 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि का आवंटन गैर



खातेदारी हक से किया गया जिसे आराजी नम्बर 223/3 दिया गया जो जरिये नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 17.04.1971 से श्री नाराण पिता रूपा भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज किया जिसके नवीन आराजी संख्या 313 रकबा 0.86 हैक्टेयर बने जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उक्त आराजी नम्बर 313 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा एवं काशत नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का सांगरिया के मौका पर्चा दिनांक 24.01.2018 से होती है।

पटवार हल्का सांगरिया ने अपने मौका पर्चा दिनांक 24.01.2018 जो कि मौके पर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष बनाया है में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा एवं काशत नहीं होकर मौके पर पड़त होना बताया है जिस पर मौके पर उपस्थित सभी मौतबिरान के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानियां अंकित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काशत नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 223 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा में से 4 बीघा (जिसके नवीन आराजी संख्या 313 रकबा 0.86 हैक्टेयर) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(प्रभा गौतम)

